**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2501**

**06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**वस्त्र क्षेत्र में तकनीकी नवोन्मेष**

**2501. श्री पी. सी. मोहन:**
**श्रीमती पूनमबेन माडम:**
**श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:**
**श्री अरुण गोविल:**
**श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:**
**श्री जगदम्बिका पाल:**
**श्री मुकेश राजपूत:**
**श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में तकनीकी नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा तकनीकी वस्त्रों के लिए किन्हीं अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2014 से अब तक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के संबंध में मंत्रालय की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**वस्त्र राज्य मंत्री**
**(श्री पबित्र मार्घेरिटा)**

**(क):** जी, हाँ। सरकार वस्त्र उद्योग में नवीन तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वर्ष 2020-21 में 1,480 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) दिनांक 31.03.2026 तक क्रियान्वित रहेगा। मिशन अनुसंधान एवं नवाचार तथा मशीनरी और विशिष्ट फाइबर के स्वदेशी विकास; उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने; भारत के निर्यात को बढ़ाने और तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में अपेक्षित कौशल के साथ मानव संसाधन तैयार करने पर केंद्रित है।

**(ख):** सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के अंतर्गत कार्बन फाइबर, अरामिड फाइबर, नायलॉन, कम्पोजिट्स आदि जैसे विशिष्ट फाइबर के क्षेत्रों के साथ-साथ जियो टेक्सटाइल्स, एग्रो टेक्सटाइल्स, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स, मेडिकल टेक्सटाइल्स, डिफेंस टेक्सटाइल्स, स्पोर्टस टेक्सटाइल्स आदि जैसे तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 474 करोड़ रुपये की लागत वाली 137 अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

**(ग) और (घ):** वर्ष 2014 से वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलें और पिछले वर्ष की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

(i) सरकार ने वर्ष 2027-28 तक सात वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड स्थलों पर सात प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। पीएम मित्र पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित किए जा रहे हैं।

(ii) सरकार देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ वस्त्र हेतु उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को क्रियान्वित कर रही है ताकि वस्त्र क्षेत्र को आकार एवं पैमाने प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके। पीएलआई योजना के तहत 73 कंपनियों का चयन किया गया है।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्त्र क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अपैरल/गारमेंटस और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(iv) सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ योजना शुरू की है। समर्थ योजना के तहत अब तक 3.27 लाख लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 1.33 लाख लाभार्थियों को 2023-24 में कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

(v) रेशम उद्योग के समग्र विकास के लिए, दिनांक 19.01.2022 को सिल्क समग्र-2 योजना शुरू की गई। इस योजना में मलबरी, वान्या और पोस्ट-कोकून क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न घटक और उप-घटक शामिल हैं। यह कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के अतिरिक्त कच्ची रेशम की गुणवत्ता, उत्पादकता और उत्पादन में सुधार के लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रयासों में तालमेल बिठाता है।

(vi) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्ची सामग्री, उन्नत करघे और सहायक उपकरण की खरीद, सौर प्रकाश इकाइयों, वर्कशेड का निर्माण, कौशल विकास, उत्पाद और डिजाइन विकास, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन, बुनकरों की मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के तहत, पात्र हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण यार्न और उनके बेंड उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान कुल 340 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति की गई है।

(vii) राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना के तहत, कारीगरों को विपणन सहायता, डिजाइन कार्यक्रम के माध्यम से कौशल विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्लस्टर विकास, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता और अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

***